



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1090 / 2026

राहुल महतो एवं 2 अन्य

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ
एवं अन्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता
प्रतिवादी के अधिवक्ता

: विकास मिश्रा, श्रुति पटेल
: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. वर्मा, जिन्होंने आज प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख (रिकॉर्ड) में ले लिया गया है, को सुना गया।
2. यह वर्तमान आवेदन नीचे उद्धृत की गई मुख्य राहत के साथ दाखिल की गई है :

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"i. आपराधिक वाद संख्या 124406/2025 में दर्ज किया गया दिनांक 26.01.2025 के आक्षेपित आरोप पत्र को रद्द किया जाये, जो वाद अपराध संख्या 63/2024, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क/323/504, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-महिला थाना हजरतगंज, लखनऊ से जुड़ा हुआ है; साथ ही दीवानी न्यायाधीश (जे.डी.)/एफ.टी.सी., लखनऊ द्वारा पारित किया गया दिनांक 29.10.2025 का सम्मन आदेश (बुलवाने का आदेश), जो याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 एवं 2 में है, को भी रद्द किया जाये।

ii. दीवानी न्यायाधीश (जे.डी.)/एफ.टी.सी., लखनऊ के समक्ष आपराधिक वाद संख्या 124406/2025 की कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाये, जिसे वाद अपराध संख्या 63/2024, आरोप पत्र दिनांक 26.01.2025 को थाना-महिला थाना हजरतगंज, लखनऊ में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क/323/504, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत समझौता विलेख के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसे संबंधित न्यायालय ने दिनांक 04.02.2026 के आदेश से न्याय के हित में सत्यापित कर दिया है।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दी गयी है कि पक्ष मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तथा उन्होंने समझौता कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय ने दिनांक 2.2.2026 के आदेश के द्वारा विचारण न्यायालय को पक्षों के मध्य हुए समझौते के तथ्यों को सत्यापित करने का निर्देश दिया था। ऊपर दिए गए आदेश के अनुसार, विचारण न्यायालय ने दिनांक 4.2.2026 के आदेश के द्वारा, समझौते के तथ्यों को सत्यापित किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी ऊपर बताये गए तथ्यों से इनकार नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 2 से मिले निर्देशों पर, उन्होंने कहा है कि अगर समझौते के आधार पर आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह माना है कि दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया है और विचारण न्यायालय ने इसे विधिवत सत्यापित भी कर दिया है।
6. सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षों के मध्य हुए समझौते के आधार पर आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के प्रश्न पर विचार करते हुए, इन मामलों में **बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य**, (2003) 4 एससीसी 675; **निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, (2008) 9 एससीसी 677; **मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य**, (2008) 16 एससीसी 1; **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य**, (2012) 10 एससीसी 303; **नरिंद्र सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य**, (2014) 6 एससीसी 466; **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण एवं अन्य**, एआईआर 2019 एससी 1296 और **परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य**, (2017) 9 एससीसी 641 में कहा है कि न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग वास्तविक एवं सारवान् न्याय करने और आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कर सकता है, जहाँ पक्षों के मध्य समझौता हो गया है।
7. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए कि पक्ष इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं; यह मामला पूरी तरह से व्यक्तिगत है, जिसे पक्षों ने आपसी सहमति से समझौते के ज़रिए सुलझा लिया है, इसलिए, इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. इसलिए आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है और दीवानी न्यायाधीश (जे.डी.)/एफ.टी.सी, लखनऊ के समक्ष वाद अपराध संख्या 63/2024 में लंबित आपराधिक वाद संख्या 124406/2025 की पूरी एवं सभी परिणामी कार्यवाहियाँ, जिसमें थाना-महिला थाना हज़रतगंज, ज़िला लखनऊ में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क/323/504, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दिनांक 26.01.2025 को दर्ज किया गया आरोप पत्र तथा दिनांक 29.10.2025 का सम्मन आदेश भी शामिल है, आवेदकों के लिए निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

19 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।